



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
आदेश सुरक्षित करने की तिथि: 19.11.2025
आदेश पारित करने की तिथि: 02.12.2025
रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2012, वर्ष 2023

सालिक राम चंद्राकर, आत्मज धुरु राम चंद्राकर, आयु लगभग 62 वर्ष,
निवासी एच-22, न्यू वैराज कॉलोनी, रुद्री, धमतरी, जिला: धमतरी, छत्तीसगढ़।

-----याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, जल संसाधन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।
4. अधीक्षण अभियंता, एम.आर.पी. बांध मंडल, रुद्री, जिला: धमतरी, छत्तीसगढ़।
5. कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंधन संभाग, रुद्री, जिला: धमतरी, छत्तीसगढ़।

-----उत्तरदातागण

(वाद-शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता हेतु: सुश्री स्वाति वर्मा, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरदातागण हेतु: श्री राहुल ताम्रकार, शासकीय अधिवक्ता एवं
श्री दशरथ प्रजापति, अधिवक्ता



माननीय श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

सी.ए.वी. आदेश

1. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री स्वाति वर्मा, एवं राज्य/उत्तरदातागण की ओर से उपस्थित शासकीय अधिवक्ता श्री राहुल ताम्रकार व पैनल अधिवक्ता श्री दशरथ प्रजापति को सुना गया।

2. वर्तमान याचिका प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना की गई है:—

"10.1 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया इस याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार करने और उत्तरदाता क्रमांक 2 को याचिकाकर्ता को सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने का निर्देश देने की कृपा करें।

10.2 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया संबंधित विभाग को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विचार करने और विभाग को दिनांक 08-08-2022 से सहायक अनुसंधान अधिकारी का वेतनमान प्रदान करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

10.3 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया संबंधित विभाग को याचिकाकर्ता को दिनांक 07-05-2012 से वरिष्ठता के समस्त लाभ प्रदान करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

10.4 कोई अन्य अनुतोष, जिसे यह माननीय न्यायालय न्यायहित में उचित और उपयुक्त समझे, वह भी याचिकाकर्ता को प्रदान करने की कृपा करें।"

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:—

- याचिकाकर्ता वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार के जल संसाधन विभाग में 'तटबंध निरीक्षक' के पद पर कार्यरत है और रुद्री में पदस्थ है। अपनी वर्तमान पदस्थापना से पूर्व, याचिकाकर्ता 'प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-बी' के पद पर कार्यरत था।
- लागू विभागीय नियमों के अनुसार, तटबंध निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता मानदंड 'प्रयोगशाला तकनीशियन' (ग्रेड-ए) के संवर्ग में 8 वर्ष की अर्हताकारी सेवा



और 'प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-बी' के संवर्ग में 12 वर्ष की अर्हताकारी सेवा निर्धारित है।

- दिनांक 11.02.2011 को विभाग द्वारा एक वरिष्ठता सूची जारी की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को श्री सुरेंद्र तिवारी के ठीक नीचे रखा गया था, जो याचिकाकर्ता के समान ही वरिष्ठ थे। उक्त आदेश के अंतिम कंडिका में विभाग ने स्वयं यह अंकित किया था कि, "नियमानुसार, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला तकनीशियन संवर्ग से तटबंध निरीक्षक के 25% पदों पर पदोन्नति स्पष्ट नहीं है, अतः इस पद के संबंध में निर्देश/निर्णय जारी किए जा सकते हैं।"
- दिनांक 07.05.2012 को विभाग ने पदोन्नति आदेश जारी किया जिसके माध्यम से श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी को तटबंध निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया।
- इसके पश्चात याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष समान अनुतोष की मांग करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया; तथापि, दिनांक 25.10.2014 के उत्तर के माध्यम से, विभाग ने याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि तटबंध निरीक्षक का कोई पद रिक्त नहीं था।
- तत्पश्चात, दिनांक 01.02.2019 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को तटबंध निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, यद्यपि यह लगभग दस वर्षों के अनुचित विलंब के बाद दी गई। याचिकाकर्ता को वर्ष 2007 से 2012 की अवधि के दौरान पदोन्नत किया जाना चाहिए था।
- इसके बाद विभाग ने 07.04.2022 को तटबंध निरीक्षक के पदों की एक निर्धारित सूची प्रकाशित की, जिसमें पुनः यह उल्लेख किया गया कि श्रीमती रीनू टोप्पो और श्री अरुण कुमार टंडन को 07.05.2012 को तटबंध निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था, और आगे यह भी कहा कि संवर्ग के 25% पद प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन संवर्गों से 50:50 के अनुपात में भरे जाएंगे।
- तत्पश्चात, आदेश दिनांक 08.09.2022 के माध्यम से, विभाग ने श्रीमती रीनू टोप्पो और श्री अरुण कुमार टंडन को **सहायक अनुसंधान अधिकारी** के पद पर पदोन्नत किया, जबकि याचिकाकर्ता को न तो पदोन्नति दी गई और न ही वरिष्ठता के आनुषंगिक लाभ प्रदान किए गए।





- व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने दिनांक 27.09.2022 को विभाग के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया कि वरिष्ठता सूची में उसकी उच्च स्थिति के बावजूद उसके कनिष्ठों को पदोन्नति का लाभ कैसे दिया गया, किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।
- याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 04.11.2022 को एक आवेदन भी प्रस्तुत किया, जिसमें पदोन्नत उम्मीदवारों की वरिष्ठता स्थिति और याचिकाकर्ता की वरिष्ठता को अधिक्रमित कर उन्हें पदोन्नत करने के लिए लागू नियमों के विवरण की मांग की गई थी; तथापि, प्राधिकारी कोई भी उत्तर देने में विफल रहे। अतः यह याचिका।

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री स्वाति वर्मा प्रस्तुत करती हैं कि उत्तरदातागण **तटबंध निरीक्षक** के पद पर पदोन्नति को शासित करने वाले सांविधिक नियमों का पालन करने में विफल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के साथ पक्षपात हुआ है। वह निवेदन करती हैं कि याचिकाकर्ता वर्ष 2011 में ही पदोन्नति के लिए पात्र हो गया था, फिर भी निराधार आधारों पर उसकी पदोन्नति को लगभग दस वर्षों तक मनमाने ढंग से रोक कर रखा गया, जबकि उसके कनिष्ठों को उससे पूर्व ही पदोन्नत कर दिया गया। वह आगे प्रस्तुत करती हैं कि **अनुसूची-IV का नियम 13** स्पष्ट रूप से यह आदेशित करता है कि तटबंध निरीक्षक के 25% पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं, जिसमें प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन संवर्गों के बीच 50:50 का कोटा निर्धारित है। इस स्पष्ट प्रावधान के बावजूद, वरिष्ठ और पात्र होने के बाद भी 2012 की पदोन्नति प्रक्रिया में याचिकाकर्ता की उपेक्षा की गई।

- विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करती हैं कि दिनांक 11.02.2011 के विभागीय आदेश ने भी पदोन्नति कोटे में अस्पष्टता को स्वीकार किया था, फिर भी इस विषय को हल करने के बजाय, उत्तरदातागणों ने याचिकाकर्ता के प्रकरण को इस प्रक्रियात्मक अनिश्चितता में ही बने रहने दिया, जिससे वह अपने वैध अधिकार से वंचित हो गया। वह निवेदन करती हैं कि यद्यपि याचिकाकर्ता को अंततः 2019 में पदोन्नत किया गया था, लेकिन इस अत्यधिक विलंब के कारण उसे वरिष्ठता के दस वर्षों की हानि हुई, जिससे 13 वर्ष से भी कम सेवा वाले कनिष्ठों को सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर बाद की पदोन्नति में उसे अधिक्रमित करने का अवसर मिल



गया। वह तर्क देती हैं कि अपने कनिष्ठों की पदोन्नति के संबंध में पारदर्शिता की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के आरटीआई आवेदनों का उत्तर नहीं दिया गया, जो उत्तरदातागणों के मनमाने और टालमटोल वाले आचरण को दर्शाता है। वह प्रस्तुत करती हैं कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदनों को या तो नजरअंदाज किया गया या विलंब अथवा वरिष्ठता लाभों के दोषपूर्ण खंडन के महत्वपूर्ण विषय को संबोधित किए बिना केवल यांत्रिक रूप से उत्तर दिया गया। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित कार्यवाहियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती हैं और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं; साथ ही याचिकाकर्ता का सेवा अभिलेख बेदाग रहा है और वह अपने परिवार का एकमात्र अर्जनकर्ता है। वह दिनांक 30.08.2023 को अधिवर्षिता प्राप्त कर चुका है, अतः देय पदोन्नति और वरिष्ठता से वंचित करना गंभीर अन्याय है, जिससे इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है।

• अपने तर्कों की पुष्टि हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'पश्चिम बंगाल सरकार एवं अन्य बनाम डॉ. अमल सत्पथी एवं अन्य', सिविल अपील संख्या 13180/2024 (निर्णीत दिनांक 27.11.2024), तथा इस न्यायालय द्वारा 'सीताराम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य', रिट याचिका (सेवा) संख्या 2687/2020 (निर्णीत दिनांक 20.06.2025) में पारित निर्णयों का अवलंब लिया है।

- दूसरी ओर राज्य/उत्तरदातागण की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री राहुल ताम्रकार व पैनल अधिवक्ता श्री दशरथ प्रजापति याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि सर्वप्रथम, उत्तरदायी उत्तरदातागण याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में कहीं भी राज्य अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए सभी प्रतिकूल आरोपों का स्पष्टतः, विशिष्टतः और पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं। वह निवेदन करते हैं कि वर्तमान रिट याचिका इस शिकायत पर आधारित है कि दिनांक 11.02.2011 को एक वरिष्ठता सूची जारी की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता को श्री सुरेंद्र तिवारी के ठीक नीचे रखा गया था, और तत्पश्चात, आदेश दिनांक 07.05.2012 के माध्यम से, श्री सुरेंद्र तिवारी को तटबंध निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया जबकि याचिकाकर्ता को नहीं। याचिकाकर्ता ने उसके बाद अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसका दिनांक 25.10.2014 को विधिवत उत्तर दिया गया और उसे सूचित किया गया कि उस समय तटबंध निरीक्षक का कोई पद रिक्त नहीं था। याचिकाकर्ता को इसके पश्चात





दिनांक 01.02.2019 को तटबंध निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, और बाद में उसने श्रीमती रीनू टोप्पो और श्री अरुण कुमार टंडन के पक्ष में दिनांक 07.04.2022 और 08.09.2022 को की गई पदोन्नति के संबंध में आपत्ति उठाई है।

- विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रश्नगत पदोन्नतियाँ, पदक्रम सूची और प्रवृत्त नियमों पर विचार करते हुए, पूर्णतः विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर की गई हैं। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता प्रारंभ में प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-बी के रूप में कार्यरत था और तटबंध निरीक्षक के 16 स्वीकृत पद हैं, जो सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग का गठन करते हैं। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि भर्ती नियमों के अंतर्गत, तटबंध निरीक्षक के 75% पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष 25% पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हैं। तटबंध निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 03.05.2012 को आयोजित की गई थी, जिसमें वरिष्ठता और पात्रता के आधार पर समिति ने याचिकाकर्ता से वरिष्ठ श्री सुरेंद्र तिवारी के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत श्रीमती रीनू टोप्पो की अभ्यर्थिता पर विचार किया। तदनुसार, समिति ने दोनों की पदोन्नति हेतु अनुशंसा की और विभाग ने पदोन्नति आदेश दिनांक 07.05.2012 (अनुलग्नक पी-4) जारी किया।
- विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए अगली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष 2022 में आयोजित की गई थी, और वरिष्ठता एवं पात्रता पर विचार करने के उपरांत, समिति ने श्री अरुण कुमार टंडन और श्रीमती रीनू टोप्पो के नामों की अनुशंसा की। इस अनुशंसा के आधार पर, पदोन्नति आदेश दिनांक 08.09.2022 (अनुलग्नक पी-8) जारी किया गया। उन्होंने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत विचार किया गया था, और सभी संबंधित अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात, एक सविस्तार एवं सकारण आदेश दिनांक 03.01.2023 (अनुलग्नक पी-1) के माध्यम से याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया। अतः, याचिकाकर्ता की शिकायतों पर विचार न किए जाने का आरोप पूर्णतः निराधार है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि वर्ष 2022 की





विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में याचिकाकर्ता का नाम विचारधीन था, किंतु याचिकाकर्ता सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर पदोन्नति की अनुशंसा हेतु आवश्यक मानदंड या वरिष्ठता स्थिति को पूरा नहीं करता था, और इसलिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जा सका। अंत में, उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरदायी उत्तरदातागणों की कार्रवाई में कोई अवैधता, अनियमितता या मनमानापन नहीं है। याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निर्णय पूर्णतः नियमों के अनुसार और इस न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में किया गया है, और इस प्रकार, वर्तमान प्रकरण में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

- मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, उनके परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया और रिट याचिका के साथ उपलब्ध सामग्री का अत्यंत सूक्ष्मता एवं सावधानीपूर्वक परिशीलन किया।
- अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता लागू भर्ती नियमों के अनुसार वर्ष 2011-2012 में ही तटबंध निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु पूर्णतः पात्र था, जो यह आदेशित करते हैं कि 25% पद पदोन्नति द्वारा भरे जाएँगे, जो कि प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-ए (प्रयोगशाला तकनीशियन) से 50% और प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-बी (प्रयोगशाला सहायक) से 50% के अनुपात में वितरित होंगे। दिनांक 11.02.2011 की वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता को श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी के ठीक नीचे रखा गया था और उसे विचार हेतु पूर्णतः पात्र दर्शाया गया था। उसी दस्तावेज़ में यह भी अंकित है कि विभाग ने स्वयं पदोन्नति कोटे के संबंध में अस्पष्टता और स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव को स्वीकार किया था, जिसके परिणामस्वरूप पदोन्नति करने में कठिनाई हो रही थी। यह स्वीकारोक्ति स्वयं यह स्थापित करती है कि याचिकाकर्ता के प्रकरण का मूल्यांकन नियमों के अनुरूप नहीं किया गया था।
- यह आगे प्रकट होता है कि पात्र होने के बावजूद, दिनांक 03.05.2012 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति में याचिकाकर्ता के नाम पर विचार नहीं किया गया, और केवल श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी को आदेश दिनांक 07.05.2012 के माध्यम से पदोन्नत किया गया। विभाग ने याचिकाकर्ता को नजरअंदाज करने का कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया। दिनांक 25.10.2014 के उत्तर में "पद की अनुपलब्धता" का जो तर्क दिया गया है, वह अभिलेख में स्वीकृत स्थिति के





विपरीत है कि सभी पदोन्नति पद केवल प्रयोगशाला तकनीशियन संवर्ग से भरे गए थे, जबकि प्रयोगशाला सहायक संवर्ग से केवल एक व्यक्ति को पदोन्नत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अनिवार्य 50-50% वितरण का उल्लंघन हुआ।

13. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता को पहली पदोन्नति केवल 01.02.2019 को प्रदान की गई थी, जो उसके पात्र होने के लगभग दस वर्ष बाद दी गई, और इस विलंब का कोई कारण भी नहीं बताया गया। इस विलंब के कारण, याचिकाकर्ता ने न केवल दस वर्षों की वरिष्ठता खो दी, बल्कि वह वरिष्ठता सूची में अपने से काफी नीचे के व्यक्तियों से भी कनिष्ठ हो गया, जिनमें श्रीमती रीनू टोप्पो और श्री अरुण कुमार टंडन शामिल हैं, जिन्हें बाद में दिनांक 08.09.2022 के आदेश के माध्यम से सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था। यह आगे प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा वरिष्ठता, पात्रता, कोटे के गलत अनुप्रयोग और रोस्टर आवंटन की अनुचितता के संबंध में मौलिक विषय उठाते हुए दिनांक 27.09.2022 का विस्तृत अभ्यावेदन और दिनांक 04.11.2022 का आरटीआई आवेदन सहित कई आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। तथापि, विभाग इन मुद्दों को सकारण संबोधित करने में विफल रहा। याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश दिनांक 03.01.2023 यांत्रिक है, अकारण है और विवेक के पूर्णतः प्रयोग न किए जाने से ग्रस्त है। याचिकाकर्ता की किसी भी मुख्य शिकायत पर विचार नहीं किया गया।

14. अभिलेख से यह उभर कर आता है कि विभाग ने वर्ष 2022 की पदोन्नति पर विचार करते समय केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के आधार पर भरोसा किया, लेकिन याचिकाकर्ता के वर्ष 2011-2012 में उद्भूत पूर्व अधिकार की पूरी तरह से अनदेखी की, जब रोस्टर को उचित रूप से लागू नहीं किया गया था और जब याचिकाकर्ता के प्रकरण पर विचार को अवैध रूप से रोक कर रखा गया था। यह स्थापित विधि है कि कोई भी प्रशासनिक प्राधिकारी अपनी स्वयं की त्रुटि का लाभ नहीं उठा सकता है, और न ही बाद का कोई आरक्षण रोस्टर पूर्व की अवैध वरिष्ठता-अधिक्रमण को न्यायोचित ठहरा सकता है।

15. डॉ. अमल सत्पथी (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, इसी तरह के विषय पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया है:-

"19. यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि पदोन्नति उस तिथि से प्रभावी होती है जिस तिथि को वह प्रदान की जाती है, न कि उस तिथि से जब रिक्ति उत्पन्न होती है या पद सृजित किया जाता है। जबकि न्यायालयों ने पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार को न केवल एक



सांविधिक अधिकार बल्कि एक मौलिक अधिकार के रूप में भी मान्यता दी है, स्वयं पदोन्नति का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इस संबंध में, हम इस न्यायालय के एक हालिया निर्णय **बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और अन्य बनाम धरमदेव दास [2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1768]** का लाभप्रद रूप से संदर्भ ले सकते हैं, जिसमें निम्नानुसार अवलोकन किया गया था:

'18. अब यह कोई अनिर्णीत विषय नहीं रह गया है कि पदोन्नति उस तिथि से प्रभावी होती है जिस तिथि को वह प्रदान की जाती है न कि उस तिथि से जब संबंधित पद पर रिक्ति होती है या जब पद स्वयं सृजित होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार को न्यायालयों द्वारा न केवल एक सांविधिक अधिकार बल्कि एक मौलिक अधिकार माना गया है, साथ ही, स्वयं पदोन्नति का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में, हम **अजय कुमार शुक्ला बनाम अरविंद राय [(2022) 12 एस सी सी 579]** में दिए गए हालिया निर्णय को उद्धृत कर सकते हैं, जहाँ **डायरेक्टर, लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम प्रभात किरण मोहंती [(1991) 2 एस सी सी 295]** और **अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, [(1999) 7 एस सी सी 209]** के पूर्व उदाहरणों का हवाला देते हुए, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार अवलोकन किया:

41. इस न्यायालय ने समय-समय पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार होने पर बल दिया है, जैसा कि न्यायमूर्ति के. रामास्वामी द्वारा **डायरेक्टर, लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम प्रभात किरण मोहंती** की रिपोर्ट के कंडिका 4 में निर्धारित किया गया था, जिसे नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:

4..... पदोन्नति का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक कर्मचारी को केवल प्रासंगिक नियमों के अनुसार पदोन्नति के अवसर आने पर विचार किए जाने का अधिकार है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारी राय में उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि निगम द्वारा तैयार की गई पदक्रम सूची संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ पठित अनुच्छेद 14 के तहत निहित उत्तरदाता-रिट याचिकाकर्ता के समानता के अधिकार का उल्लंघन है,



और उत्तरदाता-रिट याचिकाकर्ता को अन्यायपूर्ण रूप से इससे वंचित किया गया था, स्पष्ट रूप से अनुचित है।"

'अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य' में एक संविधान पीठ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16(1) पर बल देते हुए यह निर्धारित किया कि यदि कोई व्यक्ति, जो पदोन्नति के लिए पात्रता और मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन फिर भी पदोन्नति के लिए उस पर विचार नहीं किया जाता है, तो यह उसके मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन होगा। न्यायमूर्ति जगन्नाथ राव ने स्वयं की ओर से और न्यायमूर्ति आनंद, मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वेंकटस्वामी, न्यायमूर्ति पटनायक, न्यायमूर्ति कुर्दुकर की ओर से कंडिका 22 और 27 में निम्नानुसार अवलोकन किया: "अनुच्छेद 14 और 16(1): क्या पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है"

22. अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16(1) आपस में निकटता से जुड़े हुए हैं। वे व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 14 यह मांग करता है कि 'राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा'। अनुच्छेद 16(1) एक सकारात्मक आदेश जारी करता है कि:

"राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।"

इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 16 का खंड (1) अनुच्छेद 14 का ही एक पहलू है और यह अनुच्छेद 14 से ही अपनी जड़ें ग्रहण करता है। उक्त खंड अनुच्छेद 14 की व्यापकता को विशिष्ट बनाता है और संवैधानिक अर्थों में राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में नियोजन और नियुक्ति के मामलों में "अवसर की समानता" की पहचान करता है। "नियोजन" शब्द व्यापक होने के कारण, इसमें कोई विवाद नहीं है कि इसके दायरे में भर्ती के प्रारंभिक स्तर के बाद के पदों पर पदोन्नति का पहलू भी शामिल है। अनुच्छेद 16(1) प्रत्येक कर्मचारी को, जो अन्यथा पदोन्नति के लिए पात्र है या जो विचार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पदोन्नति के लिए "विचार किए जाने" का एक मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यहाँ समान अवसर का अर्थ पदोन्नति के लिए "विचार किए जाने" का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति पात्रता और क्षेत्र के मानदंडों को पूरा करता है लेकिन पदोन्नति के लिए उस पर विचार नहीं किया जाता है, तो यह पदोन्नति के लिए "विचार किए जाने" के उसके मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन होगा, जो कि उसका व्यक्तिगत अधिकार है। समान अवसर पर आधारित "पदोन्नति" और ऐसी पदोन्नति से जुड़ी वरिष्ठता, अनुच्छेद 16(1) के तहत मौलिक अधिकार के पहलू हैं।



27. हमारी राय में, **अशोक कुमार गुप्ता** [अशोक कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1997) 5 एस सी सी 201] में व्यक्त और **जगदीश लाल** [जगदीश लाल बनाम हरियाणा राज्य, (1997) 6 एस सी सी 538] तथा अन्य मामलों में अपनाए गए उपरोक्त विचार का, यदि यह उद्देश्य है कि पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रासंगिक नियमों के अनुसार (अर्थात् चाहे वरिष्ठता या योग्यता के आधार पर) पदोन्नति के लिए "विचार किए जाने" हेतु कर्मचारियों को गारंटीकृत अधिकार केवल एक सांविधिक अधिकार है न कि मौलिक अधिकार, तो हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते। हम पहले ही बता चुके हैं कि पदोन्नति के प्रकरण में "विचार किए जाने" के अधिकार के अर्थ में समान अवसर का अधिकार वास्तव में अनुच्छेद 16(1) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है और वर्ष 1950 से ही **अशोक कुमार गुप्ता** से पहले किसी अन्य प्रकरण में इस पर कभी संदेह नहीं किया गया है।

"20. 'बिहार राज्य बनाम अखौरी सचिंद्र नाथ' [1991 Supp (1) एस सी सी 334] में यह निर्धारित किया गया था कि किसी कर्मचारी को उस तिथि से भूतलक्षी वरिष्ठता नहीं दी जा सकती जब वह संवर्ग में सम्मिलित भी नहीं हुआ था, और न ही वरिष्ठता भूतलक्षी प्रभाव से दी जा सकती है क्योंकि इससे अन्य लोग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं। यही विचार '**केशव चंद्र जोशी बनाम भारत संघ**' [1992 Supp (1) एस सी सी 272] में दोहराया गया था जहाँ यह निर्धारित किया गया था कि जब कोटे का प्रावधान किया जाता है, तो कर्मचारी की वरिष्ठता की गणना उस तिथि से की जाएगी जब कोटे में रिक्ति उत्पन्न होती है, न कि पदोन्नति की किसी पूर्व तिथि या पुष्टि की बाद की तिथि से। उक्त विचार को '**उत्तरांचल फॉरेस्ट रेंजर्स एसोसिएशन (सीधी भर्ती) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**' [(2006) 10 एस सी सी 346] में निम्नलिखित शब्दों में पुनर्कथित किया गया था:

"37. हमारा यह भी मत है कि किसी कर्मचारी को उस तिथि से कोई भूतलक्षी पदोन्नति या वरिष्ठता प्रदान नहीं की जा सकती जब वह संवर्ग में सम्मिलित भी नहीं हुआ था, ताकि इस बीच वैध रूप से नियुक्त सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **केशव चंद्र जोशी बनाम भारत संघ** में निर्धारित किया गया था कि जब पदोन्नति कोटे से बाहर होती है, तो वरिष्ठता की गणना कोटे के भीतर रिक्ति की तिथि से की जाएगी, जिससे पिछली सेवा



'आकस्मिक' हो जाती है। पिछली पदोन्नति केवल कोटे के भीतर रिक्ति की तिथि से ही नियमित मानी जाएगी और वरिष्ठता की गणना उस तिथि से की जाएगी न कि उसकी पिछली पदोन्नति या बाद के पुष्टिकरण की तिथि से। पदोन्नत व्यक्तियों के साथ न्याय करने के लिए, सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के साथ अन्याय करना उचित नहीं होगा.....

38. इस न्यायालय ने निरंतर यह निर्धारित किया है कि न तो कोई भूतलक्षी पदोन्नति दी जा सकती है और न ही भूतलक्षी आधार पर उस तिथि से कोई वरिष्ठता दी जा सकती है जब कोई कर्मचारी संवर्ग में सम्मिलित भी नहीं हुआ था, विशेष रूप से तब जब इससे उन सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो जो इस बीच वैध रूप से नियुक्त किए गए हैं।" (बल दिया गया है)

20. वर्तमान प्रकरण में, यह स्पष्ट है कि यद्यपि उत्तरदाता क्रमांक 1 की पदोन्नति हेतु उनकी सेवानिवृत्ति से पूर्व अनुशंसा की गई थी, किंतु वे मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के कर्तव्यों को ग्रहण नहीं कर सके थे। पश्चिम बंगाल सेवा नियमावली का नियम 54(1)(a) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि किसी कर्मचारी को संबंधित वेतन प्राप्त करने के लिए उच्च पद का उत्तरदायित्व ग्रहण करना आवश्यक है, इस प्रकार, किसी सक्षम प्रावधान के अभाव में मरणोपरांत या भूतलक्षी पदोन्नति को रोका गया है।

21. जबकि हम उत्तरदाता क्रमांक 1 के पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के अधिकार को स्वीकार करते हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) के तहत एक मौलिक अधिकार है, परंतु उनके पास स्वयं पदोन्नति का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। ऊपर चर्चित कानूनी नज़ीरें यह स्थापित करती हैं कि पदोन्नति केवल पदोन्नति वाले पद पर कर्तव्यों को ग्रहण करने पर ही प्रभावी होती है, न कि रिक्ति उत्पन्न होने की तिथि या अनुशंसा की तिथि पर। यह देखते हुए कि उत्तरदाता क्रमांक 1 अपनी पदोन्नति प्रभावी होने से पूर्व ही अधिवर्षिता प्राप्त कर चुके थे, वे मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के पदोन्नति पद से जुड़े भूतलक्षी वित्तीय लाभों के हकदार नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने उस क्षमता में कार्य नहीं किया था।"



16. उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने और अभिलेख पर रखी गई सामग्री के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि वर्ष 2011-2012 में तटबंध निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता पर समयबद्ध विचार करने से इनकार करने की उत्तरदातागणों की कार्रवाई प्रथम दृष्टया मनमानी, शासी भर्ती नियमों के प्रतिकूल और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत संवैधानिक अधिदेश का उल्लंघन है। अभिलेख से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता था; फिर भी बिना किसी ठोस औचित्य के उसके वैध विचार को लगभग एक दशक तक टाल दिया गया। विभाग का "पदों की अनुपलब्धता" का तर्क कोटे में अस्पष्टता और 50:50 के पदोन्नति वितरण के अनुचित कार्यान्वयन के संबंध में उनकी स्वयं की स्वीकारोक्ति से खंडित हो जाता है, जिससे याचिकाकर्ता पर विचार न किया जाना पूर्णतः अनुचित हो जाता है।

17. इस प्रकार की निष्क्रियता का परिणाम केवल एक प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं था, बल्कि इसके कारण याचिकाकर्ता को गंभीर विधिक परिणाम भुगतने पड़े। उसे उसकी पहली पदोन्नति प्रदान करने में लगभग दस वर्षों के विलंब ने उसकी वरिष्ठता की स्थिति को अपरिवर्तनीय रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे स्पष्ट अन्याय हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, पोषक संवर्ग में उससे काफी कनिष्ठ उम्मीदवार, जिनमें श्रीमती रीनू टोप्पो और श्री अरुण कुमार टंडन शामिल हैं, सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर बाद की पदोन्नति प्रक्रिया में उसे अधिक्रमित करने में सफल रहे। यद्यपि उत्तरदातागणों ने आरक्षण रोस्टर और विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 2022 की पदोन्नति को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया है, किंतु ऐसा औचित्य वर्ष 2011-2012 में की गई मूल अवैधता का उत्तर देने में विफल रहता है, जहाँ याचिकाकर्ता के वैध विचार को अवैध रूप से रोक कर रखा गया था। यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि राज्य को अपनी स्वयं की त्रुटि का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, और न ही बाद की पदोन्नति समिति की कार्यवाहियाँ पूर्व में हुई प्रतिकूलता/क्षति को मिटा सकती हैं।

18. याचिकाकर्ता ने निरंतर कई अभ्यावेदनों और सूचना के अधिकार आवेदनों के माध्यम से अपनी शिकायत का निवारण करने का प्रयास किया है; तथापि, ऐसे सभी पत्रों को या तो नजरअंदाज कर दिया गया या यांत्रिक रूप से निस्तारित किया गया। याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश दिनांक 03.01.2023 संक्षिप्त, अकारण है और विवेक के पूर्णतः प्रयोग न किए जाने को दर्शाता है। यह कोटे के उल्लंघन, नियमों के गलत अनुप्रयोग, पदोन्नति में विलंब और



वरिष्ठता की दोषपूर्ण हानि से संबंधित मुख्य मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहता है। ऐसा आदेश न्यायिक संवीक्षा के समक्ष टिक नहीं सकता। दिया गया तर्क न तो तथ्यों द्वारा समर्थित है और न ही सांविधिक योजना के अनुरूप है।

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. अमल सत्पथी (पूर्वोक्त) के प्रकरण में पुनः पुष्टि की है कि यद्यपि पदोन्नति का अधिकार स्वयं में मौलिक नहीं है, किंतु नियमों के अनुसार पदोन्नति हेतु विचार किए जाने का अधिकार अनुच्छेद 14 और 16(1) का एक पहलू है और इसे मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। याचिकाकर्ता को प्रासंगिक समय पर ऐसे विचार से वंचित किया गया, जिससे उसके संवैधानिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ। जैसा कि उक्त निर्णय और अन्य नजीरों में निर्धारित किया गया है कि वास्तविक कार्यभार ग्रहण किए बिना वित्तीय लाभों के साथ भूतलक्षी पदोन्नति अनुज्ञेय नहीं है, फिर भी निष्पक्ष और समयबद्ध विचार से इनकार को बिना किसी उपचार के नहीं छोड़ा जा सकता, विशेष रूप से तब जब ऐसे इनकार ने याचिकाकर्ता के करियर की प्रगति को भौतिक रूप से परिवर्तित कर दिया हो और जिसके परिणामस्वरूप अपरिवर्तनीय प्रतिकूलता/क्षति हुई हो।

20. वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता ने एक बेदाग सेवा काल के पश्चात 30.08.2023 को अधिवर्षिता प्राप्त की है। उसके साथ हुआ अन्याय अभिलेख के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट है और यह पूरी तरह से उत्तरदातागणों की प्रशासनिक निष्क्रियता और नियमों के गलत अनुप्रयोग के कारण हुआ है। यह न्यायालय तब मूकदर्शक बना नहीं रह सकता जब एक कर्मचारी को केवल नियोक्ता के कारण हुए मनमाने और अस्पष्टीकृत विलंब के कारण उसके वैध पदोन्नति और वरिष्ठता अधिकारों से वंचित किया जाता है।

21. परिणामस्वरूप, उपरोक्त कारणों से, यह रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकार की जाती है:

(i) दिनांक 03.05.2012 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति में तटबंध निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु याचिकाकर्ता पर विचार न किया जाना अवैध, मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन घोषित किया जाता है।

(ii) याचिकाकर्ता को दिनांक 07.05.2012 की स्थिति में उसके तत्काल वरिष्ठ और कनिष्ठों के साथ तटबंध निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया माना जाएगा।



(iii) याचिकाकर्ता तटबंध निरीक्षक के संवर्ग में काल्पनिक वरिष्ठता का हकदार होगा, जिसके लिए उसे वरिष्ठता सूची में वह उपयुक्त स्थान दिया जाएगा जो उसे वर्ष 2012 में विचार और पदोन्नत किए जाने की स्थिति में प्राप्त होता।

(iv) चूँकि याचिकाकर्ता पहले ही 30.08.2023 को सेवानिवृत्त हो चुका है, वह उन पदोन्नति पदों के वेतन के बकाये का हकदार नहीं होगा जिन पर उसने वास्तव में कार्य नहीं किया है; तथापि, उत्तरदातागण उसे पेंशन संबंधी प्रयोजनों के लिए वेतन निर्धारण और सेवानिवृत्ति देयताओं की पुनर्गणना सहित सभी काल्पनिक लाभ, उसकी संशोधित वरिष्ठता के आधार पर, विधि के अनुसार शीघ्रता से प्रदान करेंगे।

22. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

सही /-

(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	आदेश पारित करने की तिथि	निर्णय वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि
19.11.2025	02.12.2025	02.12.2025





Head Note

No retrospective promotion or retrospective seniority can be granted from a date when the employee had not even been borne in the cadre. Such retrospective benefits, if conferred, would prejudicially affect the rights of validly appointed direct recruits in the interregnum and are, therefore, impermissible in law.

शीर्ष टिप्पणी

कोई भी भूतलक्षी पदोन्नति या भूतलक्षी वरिष्ठता उस तिथि से प्रदान नहीं की जा सकती जब कर्मचारी संवर्ग में सम्मिलित भी नहीं हुआ था। ऐसे भूतलक्षी लाभ, यदि प्रदान किए जाते हैं तो वे अंतराल के दौरान वैध रूप से नियुक्त सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे इसलिए ऐसे लाभ विधि में स्वीकृति योग्य नहीं है।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Court
High Court of Chhattisgarh

Bilaspur